

22.09.2022:- आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के निवेदन पर पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्ता कि बहस को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थना-पत्र पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना में तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। को पत्र जारी कर शामिल पत्रावली की किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक न्यायाधीश
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़